

8- अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्सुमेंट एजेन्ट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।


ज्ञापांक

6531

/क0, पटना, दिनांक 02.11.2017

प्रतिलिपि-(1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान), बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


1.11.17

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-87/2012

/कृ०, पटना, दिनांक 2017

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मेसर्स महाराष्ट्रा बायो फर्टिलाइजर्स इण्डिया प्रा० लि०,
द्वारा-कृष्णा सीड्स,
H/o- बबिता सिंह,
अपोजिट आलोक पेट्रोल पम्प,
NH-30, पटना-800007

विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या-78-79 दिनांक 12.08.2013 वैधता तिथि 31.12.2018 में इन्डोर्समेन्ट के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपसे प्राप्त आवेदन, कोषागार चालान एवं अन्य संगत कागजातो के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 के निहित प्रावधानों के आलोक में स्वनिर्मित 07 कीटनाशी का प्रतिष्ठान के प्रिंसिपल सर्टिफिकेट एवं विनिर्माण अनुज्ञप्ति की वैधता तिथि के आलोक में अनुज्ञप्ति संख्या 78-79 दिनांक 12.08.2013 वैधता तिथि 31.12.2018 में इन्डोर्समेन्ट किया जाता है।

S.L. No.	Particulars of the insecticide	Registration Number	Date of grant of licence
1	Ammonium Salf of Glyphosate 71% SG	CIR-122972/2015- Ammonium Salf of Glyphosate (SG) (352)-347	
2	Emamectin Benzoate 5% SG	CIR-123442/2015- Emamectin Benzoate (SG) (353)-146	
3	Gibberellic acid 0.185% SP	CIR- 123441/2015- Gibberellic acid (SP)(353)-212	
4	Sulphur 85% DP	CIR-123437/2015- Sulphur (DP) (353)-373	
5	Sulphur 80% WP	CIR- 123436/2015- Sulphur (WP)(353)-372	
6	Sulphur 80% WDG	CIR-123438/2015- Sulphur (WDG)(353)-374	
7	Glyphosate 41% SL	CIR-137358/2017- Glyphosate (SL)(374)-758	

2-उपरोक्त कीटनाशी का प्रतिष्ठान द्वारा भण्डारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, के निहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा- मेसर्स महाराष्ट्रा बायो फर्टिलाइजर्स इण्डिया प्रा० लि०, द्वारा-कृष्णा सीड्स, H/o- बबिता सिंह, अपोजिट आलोक पेट्रोल पम्प, NH-30, पटना-800007

3- यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4-अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना एवं संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7-नियम 10 बी के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करनी होगी।